

परिशिष्ट
(देखिये नियम-6)

फार्म 'क'

राज्य सरकारों तथा अन्य प्राधिकारियों द्वारा प्रस्तावों की धारा-2 के अन्तर्गत पूर्व अनुमति लेने का फार्म

भाग-1
(प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा भरे जाने के लिए)

- 1- परियोजना विवरण:-
- (i) अपेक्षित वन भूमि के लिए प्रस्ताव/परियोजना स्कीम का संक्षिप्त विवरण। - न्यालना-अन्याड़ी मोटर मार्ग निर्माण तहसील-बडकोट जिला-उत्तरकाशी
- (ii) 1.50.000 स्केल पर वन भूमि और उसके आस पास के वनों की सीमाओं को दर्शाने वाला मैप - संलग्न है।
- (iii) परियोजना की लागत -
- (iv) वन क्षेत्र में परियोजना स्थापित करने का औचित्य - घाताघात की सुविधा।
- (v) लागत लाभ विश्लेषण (संलग्न किये जाने के लिए) - लागू नहीं।
- (vi) रोजगार जिसके पैदा होने की सम्भावना है। - 24000 मानक दिवश सुचित
- 2- कुल अपेक्षित भूमि का उद्देश्यवार यदि कोई है। - रहित।
- 3- परियोजना के कारण लोगों को हटाने का विवरण यदि कोई हो।
- (i) परियोजना की संख्या - रहित
- (ii) अनुसूचित जाति/जनजाति के परिवारों की संख्या - रहित
- (iii) पुर्नवास योजना (संलग्न किये जाने के लिए) - रहित
- 4- क्या पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के अन्तर्गत मंजूरी आवश्यक है (है/नहीं) - नहीं
- 5- प्रतिपूरक वनीकरण करने तथा उसके अनुरक्षण और या दण्डस्वरूप प्रतिपूरक वनीकरण की लागत के साथ-साथ राज्य सरकार द्वारा तैयार की गई योजना के अनुसार संरक्षण लागत और सुरक्षा क्षेत्र में पुनः वनीकरण की बचनबद्धता संलग्न की जाए - संलग्न है।
- 6- निर्देशों के अनुसार संलग्न अपेक्षित प्रमाण पत्रों/दस्तावेजों का ब्यौरा - संलग्न है।

तिथि - 10-9-09
स्थान - उत्तरकाशी

हस्ताक्षर
(नाम स्पष्ट अक्षरों में)

पदनाम
प्रयोक्ता एजेंसी

सहायक अभियंता
खण्ड लो०नि०वि०
उत्तरकाशी

ब.प.सी. जी०

15-3-07 (उत्तरकाशी)

18-7-13

(Nagendra Bahadur)
Executive Engineer
P.M.G.S.Y. Irrigation Division
Purola (Uttarkashi)

संशोधित

भाग- II

(B)A

सम्बन्धित उप वन संरक्षक द्वारा भरा जाना है।

संख्या

प्रस्ताव की राज्य क्रम

परियोजना स्कीम का स्थान:- हजालना म. साडी मोटर मार्ग निगम
लहली बड़कोट - उत्तरकाशी

- (i) राज्य संघ शासित क्षेत्र उत्तराखण्ड
(ii) जिला उत्तरकाशी
(iii) वन प्रभाग अपर यमुना वन प्रभाग

बड़कोट

- (iv) वनेत्तर प्रयोग के लिए प्रस्तावित वन भूमि
का क्षेत्र (हेक्टर में)

3.640 है०

- (v) वन की कानूनी स्थिति

आरक्षित एवं सोपम वृक्ष

- (vi) हरियाली का घनत्व

0.4 से अधिक

- (vii) प्रजातिवार (वैज्ञानिक नाम) और परिधि श्रेणीवार

वृक्षों की परिगणना संलग्न की जाय सिंचाई/जलीय
परियोजनाओं के सम्बन्ध में एफ0आर0एल0-4 मीटर
भी संलग्न किया जाये।

संलग्न है।

- (viii) भूक्षरण के लिए वन क्षेत्र की संवेदनशीलता

संवेदनशील क्षेत्र है

पर संक्षिप्त टिप्पणी

संवेदनशील क्षेत्र नहीं है

- (ix) वनेत्तर प्रयोग के लिए प्रस्तावित स्थल की वन की

सीमा में अनुमानित दूरी मोटर मार्ग का निगम वन क्षेत्र के किनारे जायेगा

- (x) क्या फार्म राष्ट्रीय उद्यान वन्यजीव अभ्यारण, जैवमण्डल

रिजर्व हाथी कोरीडोर आदि का भाग है (यदि हाँ, क्षेत्र

नहीं

का ब्यौरा और प्रमुख वन्य जीव वार्डन की टिप्पणियां अनुबन्धित की जायें)

- (xi) क्या क्षेत्र की वनस्पति और प्राणीजात की दुर्लभ/सकटापन्न/विशिष्ट

प्रजातियां पाई जाती है यदि है/ तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा दें। लेजपात का जिल्ला हथु उपर

- (xii) क्या सुरक्षित पुरातात्विक/प्रारम्भिक स्थल/स्था प्रतिष्ठान और कोई

नहीं

(A)

अन्य महत्वपूर्ण स्मारक क्षेत्र में स्थित है। यदि हों तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा सक्षम प्राधिकरण से अनुरूप प्रमाण-पत्र के साथ यदि अपेक्षित हो दें।

8. प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा भाग-1 कालम 2 में प्रस्तावित वन भूमि की आवश्यकता परियोजना के लिए अपरिहार्य और न्यूनतम है। यदि नहीं तो जाँचे गये विकल्पों के साथ मदवार संस्तुति क्षेत्र क्या है।
9. क्या वन अधिनियम के उल्लंघन में कोई कार्य किया गया है (हैं/नहीं)।
10. यदि हों तो कार्य की अवधि, दोषी अधिकारियों पर की गई कार्यवाही सहित कार्य का ब्यौरा दें क्या उल्लंघन सम्बन्धी कार्य अभी भी चल रहे हैं।
11. प्रतिपूरक वनीकरण स्कीम का ब्यौरा:-
- (i) प्रतिपूरक वनीकरण के लिए अभिनिर्धारित वनेत्तर क्षेत्र, आस-पास के वन से इनकी दूरी भू-खण्डों की संख्या प्रत्येक भू-खण्ड का आकार।
- (ii) प्रतिपूरक वनीकरण के लिए अभिनिर्धारित वनेत्तर/अवक्रमित वन क्षेत्र आस-पास की सीमाओं को दर्शाता मैप
- (iii) रोपित की जाने वाली प्रजातियों सहित प्रतिपूरक वनीकरण स्कीम के विवरण कार्यान्वयन एजेन्सी समय अनुसूची लागत ढाँचा आदि।
- (iv) प्रतिपूरक वनीकरण स्कीम के लिए कुल वित्तीय परिस्यय।
- (v) प्रतिपूरक वनीकरण के लिए अभिनिर्धारित क्षेत्र की उपयुक्तता के बारे में और प्रबंधकीय दृष्टिकोण से सक्षम प्राधिकरण से प्रमाण पत्र (सम्बन्धित उप वन संरक्षक द्वारा हस्ताक्षरित किया जाए)।
12. जिला वन संरक्षक की स्थल निरीक्षण रिपोर्ट विशेषतः उपर्युक्त कालम (xi, xii) 8 और 9 में पुछे गये तथ्यों को दर्शाते हुए (संलग्न करें)
13. विभाग/जिला प्रोफाइल
- (i) जिला का भौगोलिक क्षेत्रफल 99279.707 है० अपर यमुना वन प्रभाग बड़कोट
- (ii) जिले का वन क्षेत्रफल 89379.711 है० अपर यमुना वन प्रभाग बड़कोट
- (iii) मामले की संख्या सहित 1980 से वनेत्तर प्रयोग में लाया गया कुल वन क्षेत्र। 3,640 है०
- (vi) 1980 से जिला/प्रभाग में निर्धारित कुल प्रतिपूरक वनीकरण।

मार्ग का नाम:- स्थालना भन्साडी ग्राटेर मार्ग का निर्माण

परिवर्तन का कार्य।

- (क) दण्ड के रूप में प्रतिपूरक वनीकरण सहित वन भूमि 144.27 ई०
- (ख) वनेत्तर भूमि पर। X
- (ग) अब तक प्रतिपूरक वनीकरण में हुई प्रगति।
- (क) वन भूमि पर। 139.02
- (ख) वनेत्तर भूमि पर। X

13. प्रस्ताव को स्वीकृत करने अथवा प्रस्ताव को अन्यथा लेने के सम्बन्ध में उप वन संरक्षक की विशेष सिफारिश ~~प्रस्ताव स्वीकृत करने की संस्तुति की जाती है।~~

दिनांक 26-5-2014

स्थान बड़कोट

हस्ताक्षर.....
 नाम..... (डी० के सिंह)
 सरकारी प्रभागीय वनाधिकारी.....
 अपर यमुना वन प्रभाग
 बड़कोट (उत्तरकाशी)

भाग-III

(संबंधी वन संरक्षक द्वारा भरा जाना है ।)

कार्य का नाम— जनपद उत्तरकाशी, नौगांव ब्लाक के अन्तर्गत प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत स्थालना से भन्साड़ी मोटर मार्ग निर्माण हेतु 4.68 हेक्टेअर वन भूमि, वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के अन्तर्गत सिंचाई खण्ड (लोक निर्माण विभाग) उत्तरकाशी को हस्तान्तरण प्रस्ताव ।

क्रमांक 14	स्थल जहां की वन भूमि शामिल की गयी है क्या इसका संबंधित वन संरक्षक ने निरीक्षण किया है (हां/नहीं) यदि हां तो निरीक्षण की तारीख और किए गये प्रेक्षणों को, निरीक्षण नोट के रूप में संलग्न करें।	नहीं, प्राप्त प्रस्ताव में वन भूमि में 1080 वृक्ष विभिन्न प्रजाति ब्यासवर्ग के बाधित सूचित हैं, जिसमें 14 वृक्ष बांज प्रजाति के न्यून मात्रा में बाधित सम्मिलित हैं। प्रभागीय वनाधिकारी, बड़कोट ने सूचित किया है कि उनके द्वारा बाधित वृक्षों का निरीक्षण दिनांक 22-12-09 को किये जाने की सूचना दी है, जिस पर सहमति व्यक्ति की जाती है।
क्रमांक 15	क्या संबंधित वन संरक्षक भाग ख में दी गई सूचना और उप वन संरक्षक के सुझाव से सहमत हैं ।	सहमत ।
क्रमांक 16	प्रस्तावों की स्वीकृति या अन्यथा के बारे में संबंधित वन संरक्षक विस्तृत कारणों के साथ विशेष सिफारिशें ।	संस्तुति की जाती है ।

दिनांक - 31 दिसम्बर 2009
स्थान - देहरादून ।

हस्ताक्षर
31/12/09
नाम - (बी०पी०गुप्ता)
वन संरक्षक,
यमुना वृत्त, उत्तराखण्ड, देहरादून ।
उत्तराखण्ड, देहरादून

(नोडल अधिकारी अथवा प्रधान मुख्य वन संरक्षक अथवा अध्यक्ष वन विभाग द्वारा भरे जाने के लिए)

15. टिप्पणियों के साथ प्रस्ताव को स्वीकार करने या अन्यथा के लिए राज्य वन विभाग की विस्तृत राय और निर्दिष्ट सिफारिशें।

(राय देते समय संबंधित वन संरक्षक अथवा उप वन संरक्षक की प्रतिकूल टिप्पणियों की सुस्पष्ट समीक्षा की जाय और विवेचनात्मक टिप्पणी दी जाय।)

प्रतिहस्ताक्षरित



नोडल अधिकारी
वन विभाग, उत्तराखण्ड
देहरादून

दिनांक 3-4-10

स्थान देहरादून

हस्ताक्षर.....

नाम.....


सरकारी मोहर.....

भाग- (V)

इसे वन विभाग के प्रभारी अथवा राज्य सरकार के किसी अन्य प्राधिकृत अधिकारी जो अवर सचिव के पद के नीचे का अधिकारी न हो द्वारा भरा जाना है।

16. राज्य सरकार की सिफारिश (उपयुक्त भाग-ख या भाग-ग या भाग घ में किसी अधिकारी द्वारा की गई प्रतिकूल टिप्पणियों पर विशिष्ट टिप्पणी की जायें।)

दिनांक 3-4-10



(राजेन्द्र कुमार)
अवर सचिव
वन एवं पर्यावरण विभाग
उत्तराखण्ड शासन

हस्ताक्षर.....

नाम.....

सरकारी मोहर.....

स्थान देहरादून